

an>

Title: Need to conduct CBI enquiry in corruption involved in procurement of paddy crops in Bihar.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, बड़ेगा बिहार, पढ़ेगा बिहार, फिर एक बार बिहार का यह नारा था। मैं ...* के बारे में कहना चाहूंगा। ...* की धान खरीद घोटाले का ब्यौसा मैं विस्तार से देना चाहूंगा। दो घाटाले हुए, इसमें गड़बड़ी का आलम यह है कि हजारों टन धान की दुलाई मोटरसाइकिल, आटो रिक्शा, टैक्सी, ठेला, जुगाड़ और कार से की गई।

कैब की यह रिपोर्ट वर्ष 2009 से लेकर 2013-14 के दौरान हुई धान की खरीद पर आधारित है। लेवी राइस मिलिंग में ... * का पता लगाया गया। संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से 18,000 करोड़ रूपए धान की खरीद दिखाई गई है, लेकिन किसी किसान की पहचान का ब्यौसा नहीं दिया गया है। धान की इस पूरी खरीद पर सवाल खड़ा किया गया है। किसानों के खाते में न रकम जमा कराई गई और न ही उनका कोई ब्यौसा दर्ज कराया गया। रिपोर्ट में कुल नौ प्रमुख गड़बड़ियों का पता लगाया गया है। इसका सीधा मतलब चावल मिल मालिकों को फायदा पहुंचाना रहा है। कैब ने कहा है कि 3,743 करोड़ रूपए का फायदा धान के सह उत्पादों के रूप में मिलों को पहुंचाया गया है, जिसमें धान की भूसी, राइस ब्रान व अन्य उत्पाद शामिल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चावल मिलों को इसके भुगतान में 194 करोड़ की अनियमितता की गई। अवधि में 18 हजार करोड़ रूपए का धान खरीदा गया, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिला।

महोदय, आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा के दोनों ओर स्थित बिहार के 15 जिलों के भूजल में आर्सेनिक के स्तर में खतरनाक बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण इस इलाके में रहने वालों के लिए कैंसर का खतरा बढ़ गया है। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा किनारे के दोनों तरफ के 57 विकासखंडों के भूजल में आर्सेनिक की भारी मात्रा पाई गई है। आर्सेनिक नामक घीमे जहर के कारण तीवर, किडनी के कैंसर और गैंगलीन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार सर्वाधिक खराब स्थिति भोजपुर, बक्सर, वैशाली, भागलपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, दरभंगा जिलों में हैं। गांव हराइल छपर में भूजल के एक नमूने में आर्सेनिक की मात्रा 2,100 पीपीबी पाई गई, जो कि सर्वाधिक है। जिला प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 80 मीटर से अधिक गहरे बोरिंग में आर्सेनिक की मात्रा नहीं पाई गई। उत्तेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल में 10 पीपीबी की मानक मात्रा तय की है, जबकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सुरक्षित मात्रा 50 पीपीबी मानी जाती है। गतवर्ष में शासन की पहल पर 398 गांवों में 19,961 ट्यूबवेल के भूजल के नमूने कराए गए। सर्वे के मुताबिक 310 गांव में आर्सेनिक स्तर अधिक पाया गया।

महोदय, मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई से इंवायरी हो। पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई है। ... (व्यवधान) मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा हो।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Ashwini Kumar Choubey is permitted to associate with the issue raised by Shri Rajesh Ranjan